

R 3822-802-16

(77)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-ग्वालियर

श्री धर्मेश चतुर्वेदी, Adl.  
द्वारा दिनांक 07.11.16 डे)  
उत्तुत / ~~वसु~~  
7-11-16

7/11/16  
अर्जुन चतुर्वेदी (कॉन्सि-)  
463  
07-11-16

- 1- ज्ञान सिंह पुत्र श्री मेहरवान सिंह रावत
- 2- सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तुलाराम किरार  
भितरवार, जिला-ग्वालियर (म.प्र.)  
— आवेदकगण  
विरुद्ध

- 1- श्रीमती गीता पत्नी श्री वासुदेव शर्मा
- 2- श्रीमती बृजलता पत्नी श्री मनमोहन शर्मा
- 3- श्रीमती द्रोपती पत्नी श्री रामप्रकाश शर्मा  
निवासीगण- ग्राम बनियानी तहसील नरवर,  
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)
- 4- श्रीमती ममता शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र शर्मा  
निवासी- वार्ड क्रमांक 8 भितरवार,  
जिला - ग्वालियर (म.प्र.)
- 5- राजावेटी बेवा कल्याण सिंह पुत्री लालाराम
- 6- सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह
- 7- महेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह
- 8- मुनेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह  
निवासीगण - वार्ड क्रमांक 9 भितरवार,  
जिला - ग्वालियर (म.प्र.)
- 9- दयावती पत्नी रतन सिंह किरार,  
निवासी - वार्ड क्रमांक 10 भितरवार,  
जिला - ग्वालियर (म.प्र.)
- 10- अर्जुन सिंह पुत्र श्री जनवेद सिंह किरार
- 11- रघुवीर सिंह पुत्र जनवेद सिंह किरार  
निवासीगण- वार्ड क्रमांक 12 भितरवार,  
जिला - ग्वालियर (म.प्र.)
- 12- मध्य प्रदेश शासन

— अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/2015-16 विविध में पारिल आदेश दिनांक 25.07.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण। माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर

*(Signature)*

R 3822-PBR/16 2016

14.12.2016

आवेदकगण की ओर से श्री चरमेन्द्र  
चतुर्वेदी आयोगाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। जिन पीठालीम  
आधिकारी से प्रमाण स्थापित करने से सम्बन्धित  
यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, उनका  
स्थानान्तरण हो ~~कर~~ <sup>रहा</sup> है। अतः यह  
निगरानी निरर्थक हो जाने से समाप्त  
की जाती है।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
अध्यक्ष

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्या प जाना

सविनय प्रस्तुत है :-